संख्या-77/2019/963/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 25 मार्च 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठषालाओं पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार व विकास की संचालित योजनान्तगत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराषि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-414/ज0जा0वि0/लेखा/2018-19, दिनांक-05.03.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना-14-अनुसूचित जनजातियों के सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार व विकास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **रू0-19.72 लाख (रू0-उन्नीस लाख बहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-17-जनजाति उपयोजना- 04-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास योजना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-17-जनजाति उपयोजना-03-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास योजना-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) की बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।
2- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
4- जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वर्ष 2018-19 में नही की जायेगी।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।
7- धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-14-अनुसूचित जनजातियों के सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार व विकास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-77/2019/963(1)/26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी०एम०-9 (भाग-1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-81-मुख्यालय अधिष्ठान (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2016-19 (रू० लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2225-02-796-17-04-20 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-17-जनजाति उपयोजना-04-बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास योजना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)					
31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	15.75	15.75	15.75	15.75	0.00
2225-02-796-17-03-20 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-17-जनजाति उपयोजना-03-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता					
31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	7.97	7.97	3.97	3.97	4.00
योग-	23.72	23.72	19.72	19.72	4.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-02-796-00-14-20 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-14-अनुसूचित जनजातियों के सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार व विकास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)					
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	42.82	62.54	19.72	19.72	62.54
योग-	42.82	62.54	19.72	19.72	62.54

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण प्रश्नगत योजना में जनपदों से प्रस्ताव/मांग प्राप्त न होने के कारण बचत हुयी।
(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- निदेशालय से प्रस्तावित प्राक्कलित बजट के सापेक्ष न्यून धनराशि प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हुयी।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर०ई०-697/दस-2019 दिनांक 19 मार्च, 2019

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ०प्र०, इलाहाबाद।

(सतीश कुमार)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव
अनु सचिव
वित्त विभाग।
ह०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या- 77 /2019/ 663 (1)/26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।